HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Bail Cancellation Application No. 134/2025

Mohan Lal S/o Ganga Ram Bairwa, R/o Devali, Lalsot, District Dausa (Rajasthan).

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Shaukeen S/o Girraj Prasad Bairwa, R/o Devli Police Station Lalsot, District Dausa Rajasthan.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Kritin Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Gaurav Gupta Asst. G.A. Mr. Jay Raj Tantia

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

29/04/2026

परिवादी की ओर से यह जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना–पत्र विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.2025 को अप्रार्थी संख्या–2/अभियुक्त शौकीन को अग्रिम जमानत की सुविधा दिए जाने के आदेश से व्यथित होकर उक्त जमानत आदेश को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना तथ्यों पर ध्यान दिए हुए एवं इस न्यायालय के आदेश को पढ़े बिना ही उक्त अग्रिम जमानत का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मुख्य अभियुक्त शौकीन को अग्रिम जमानत का लाभ दिया है। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में यह अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या–2/अभियुक्त का मामला अन्य अभियुक्तगण के समकक्ष है जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है, परंतु वास्तविकता में उच्च न्यायालय द्वारा चार महिला सहअभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया था जिन पर आहत को चोट कारित करने का कोई आक्षेप नहीं था। उनका तर्क है कि अभियुक्त शौकीन पर यह आक्षेप है कि उसने आहत जीतू उर्फ जीतराम को करवाड़ी से सिर पर मारी एवं यही चोट जो

फ्रण्टोपैराईटल भाग पर थी, को गम्भीर एवं प्राणघातक होना चिकित्सक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने अन्य अभियुक्तगण के समकक्ष मामला होने के आधार पर अभियुक्त शौकीन को जो अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है, उस जमानत को निरस्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–2–अभियुक्त का तर्क है कि न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को सुनने के उपरांत अग्रिम जमानत का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया है एवं अग्रिम जमानत की सुविधा अभियुक्त को दी है। मामले में अब आरोप–पत्र भी पेश हो चुका है, इसलिए प्रार्थी से अब किसी प्रकार का अनुसंधान भी नहीं किया जाना है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विनिश्चय **हिमांशु शर्मा–बनाम–मध्य प्रदेश राज्य एसएलपी आपराधिक 786/2024** से उद्भूत आपराधिक अपील सन 2024 में जमानत निरस्तीकरण के निम्न चार आधार बताए हैंः–

1- the accused has misused the liberty granted to him;

2- flouted the conditions of bail order;

3- that the bail was granted in ignorance of statutory provisions restricting the powers of the Court to grant bail;

4- or that the bail was procured by misrepresentation or fraud.

उनका तर्क है कि उपर्युक्त वर्णित आधारों में से कोई भी आधार वर्तमान मामले में उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में जमानत निरस्तीकरण का कोई आधार नहीं होने से प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभय पक्षकारों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

प्रार्थी/परिवादी द्वारा इस प्रार्थना–पत्र को प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या–2–अभियुक्त शौकीन को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.2025 के आदेश द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने (Bail Cancellation) हेतु प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या–2–अभियुक्त शौकीन का अग्रिम जमानत का प्रार्थना–पत्र केवल इस आधार पर स्वीकार किया है कि प्रकरण में अन्य सहअभियुक्तगण का जमानत आवेदन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2025 को स्वीकार किया जा चुका है और

RAJASTHAN HIGH COURT

आदेश में यह भी अंकित किया कि अभियुक्त शौकीन का मामला सहअभियुक्तगण से भिन्न नहीं है, जबकि वास्तविकता में जिन सहअभियुक्तगण को इस न्यायालय (उच्च न्यायालय) के आदेश द्वारा दिनांक 08.08.2025 को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया गया है वे सहअभियुक्तगण मीरा, सीमा, अर्चना उर्फ रचना एवं सुमन सभी महिलाएं हैं, उनके नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं हैं और उनका कोई बाह्य कृत्य भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं बताया गया है। उनसे किसी प्रकार की कोई बरामदगी की आवश्यकता नहीं बताई गई थी। एक महिला का आठ माह की गर्भवती एवं दो महिलाओं का छात्रा होना भी दर्शित किया गया था। साथ ही उन सभी अभियुक्तगण द्वारा अनुसंधान में भाग भी ले लिया गया था और उनसे अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं होना अभियोजन पक्ष द्वारा बताया गया था। ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत का प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। साथ ही न्यायालय ने आदेश में यह भी अंकित किया था कि आहतगण सुनीता एवं जीतराम पर चोटें कारित करने का आक्षेप प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर नहीं है, सहअभियुक्त **शौकीन** पर है। उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या–2/अभियुक्त शौकीन की अग्रिम जमानत का प्रार्थना–पत्र निस्तारण करते हुए उक्त सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को विचार में नहीं लिया कि आहतगण के सिर पर चोट कारित करने का आक्षेप अभियुक्त शौकीन पर ही था और उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी था, उसके द्वारा चोट कारित करने का तथ्य भी अंकित था, शौकीन द्वारा जीतू के सिर में करबाड़ी मारना अंकित किया गया था। उसके द्वारा कारित चोट प्राणघातक होने की रिपोर्ट थी तथा उससे करबाड़ी की बरामदगी भी की जानी थी। उससे किसी प्रकार का कोई अनुसंधान नहीं किया गया था, अभिरक्षात्मक पूछताछ की आवश्यकता स्पष्ट दिखाई दे रही थी और किसी भी प्रकार की कोई समानता (Parity) अप्रार्थी/अभियुक्त शौकीन की सहअभियुक्तगण मीरा, सीमा, अर्चना एवं सुमन से नहीं थी। वास्तविकता में तो सहअभियुक्तगण को अग्रिम जमानत ही इस आधार पर प्रदान की गई थी कि प्राणघातक चोट कारित करने का आक्षेप सहअभियुक्त–अप्रार्थी संख्या–2 शौकीन पर है, उन पर नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके सम्बन्ध में पारित आदेश को आधार बनाकर शौकीन को अग्रिम जमानत की सुविधा देना न सिर्फ विधिविरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है वरन आपत्तिजनक भी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विनिश्चय माइकला धर्मराजम एवं अन्य–बनाम–तेलंगाना राज्य एवं

अन्य (2020) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज 743 में पैरा संख्या 9 व 10 में जमानत निरस्तीकरण के सम्बन्ध में निम्न प्रेक्षण किया हैः–

9- It is trite law that cancellation of bail can be done in cases where the order granting bail suffers from **serious infirmities resulting in miscarriage of justice**. If the court granting **bail ignores relevant material indicating prima facie involvement of the accused** or takes into account irrelevant material, which has no relevance to the question of grant of bail to the accused, the High Court or the Sessions Court would be justified in cancelling the bail.

10- Having perused the law laid down by this Court on the scope of the power to be exercised in the matter of cancellation of bails, it is necessary to examine whether the order passed by the Sessions Court **granting bail is perverse and suffers from infirmities which has resulted in the miscarriage of justice.** No doubt, the Sessions Court did not discuss the material on record in detail, but there is an indication from the orders by which bail was granted that the entire material was perused before grant of bail. It is not the case of either the complainant-Respondent No.2 or the State that irrelevant considerations have been taken into account by the Sessions Court while granting bail to the Appellants. The order of the Sessions Court by which the bail was granted to the Appellants cannot be termed as perverse as the Sessions Court was conscious of the fact that the investigation was completed and there was no likelihood of the Appellant tampering with the evidence.

उक्त विनिश्चय में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी यदि आदेश में गम्भीर त्रुटियां हों और उससे न्याय हत्या (Miscarriage of Justice) होती हो तथा जमानत प्रदान करते समय सुसंगत सारवान तथ्य जो कि अभियुक्त के अपराध में

संलिप्तता को प्रथम–दृष्ट्या दर्शित होता हो, उसे ध्यान में नहीं लिया गया हो अथवा आदेश मनमाना (Perverse) हो तो न्यायालय को जमानत निरस्त करनी चाहिए।

वर्तमान मामले में जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या–2/अभियुक्त का अग्रिम जमानत का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते समय इस सारवान तथ्य पर गौर नहीं किया कि अभियुक्त शौकीन पर ही आहत जीतू के सिर में करवाड़ी से चोट कारित करने का आक्षेप है तथा उक्त चोट चिकित्सक द्वारा प्राणघातक प्रतिवेदित की गई है तथा अभियुक्त से करवाड़ी की बरामदगी हेतु अभिरक्षात्मक पूछताछ की आवश्यकता है। साथ ही विचारण न्यायालय ने उक्त अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए इस न्यायालय के आदेश दिनांक 08.08.2025 का उल्लेख आलौच्य आदेश दिनांक 20.08.2025 से किया व समानता (Parity) के आधार पर जमानत प्रदान करने का उल्लेख किया है जो भी सर्वथा मनमाना (Perverse) है क्योंकि जिन सहअभियुक्तगण को जमानत दी गई थी, वे महिलाएं थीं उनमें से एक गर्भवती थी एवं दो अध्ययनरत थीं, उनका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था, उनके विरूद्ध कोई विशिष्ट कृत्य करने का आक्षेप भी नहीं था तथा उनके द्वारा अनुसंधान में भाग लिया जा चुका था तथा अभियोजन पक्ष द्वारा उनकी कोई आवश्यकता अभिरक्षात्मक पूछताछ (Custodial Investigation) के लिए नहीं होना तथा उन पर कोई प्राणघातक चोट आहतगण को कारित करने का आक्षेप नहीं था। उक्त सभी आधार अप्रार्थी संख्या–2–अभियुक्त के पक्ष में मौजूद नहीं थे।

उपर्युक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.2025 से जो आदेश पारित किया गया है वह अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं सारवान तथ्यों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो मनमाना है तथा यह न्याय की हत्या है और ऐसी स्थिति में जमानत की जो सुविधा दी गई है वह उक्त आधारों पर निरस्त किए जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी/परिवादी की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विचारण न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश लालसोट जिला दौसा द्वारा दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 110/2025 शौकीन–बनाम–राज्य सरकार प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 511/2024 पुलिस थाना लालसोट जिला दौसा में पारित आदेश दिनांक 20.08.2025 जिसके द्वारा अभियुक्त

शौकीन को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया है, अपास्त किया जाता है तथा अभियुक्त शौकीन को प्रदत्त अग्रिम जमानत को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित न्यायालय एवं प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को जरिए लोक अभियोजक नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /S.3